

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Hisar Year (वर्ष): 2023

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0012

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):

27/04/2023 19:13 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	418
3	IPC 1860	465
4	IPC 1860	467
5	IPC 1860	468
6	IPC 1860	471
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
8	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7A

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Sunday

Date from (दिनांक से):

16/04/2023

Date To (दिनांक तक):

16/04/2023

Time Period (समय अवधि):

Time From (समय से): 07:00
hrsTime To (समय तक): 17:00
hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 27/04/2023 Time (समय): 17:50 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.):
017Date and Time
(दिनांक और समय):
27/04/2023 18:30
hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): WEST, 95 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): सिरसा,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6.

(a) Complainant/Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 20/06/1967 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address

(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	Hisar, ACB, Hisar, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	Hisar, ACB, Hisar, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9813562044

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	Unknown1			
2	Unknown2			
3	Unknown3			
4	Unknown4			
5	Unknown5			

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
---------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, प्रबन्धक अफसर, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार मण्डल हिसार, जयहिन्द दिनांक 16-04-2023 को गौरव शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक मय निरीक्षक जय सिंह, 224/एच मय गाड़ी सरकारी नम्बर HR03GV 3116 मय चालक ई.एच.सी. इन्द्रपाल न.433/फतेहाबाद थाना के बराये कार सरकार नजदीक डिंग मोड़ पर मौजूद था कि दिनांक 16.04.02023 को समय करीब 7:00 बजे सुबह मुखबर खास ने मुलाकि होकर इतलाह दी कि कुछ ट्रांसपोर्टर दलालों के माध्यम से बिक्री-कर विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों से सैटिंग / मिलीभगत करके हरियाणा व पंजाब राज्य की फर्मों का माल बिना बिल व बिलिटियों के अपने ट्रांसपोर्ट व्हीकलों में भरकर दिल्ली से सिरसा पंजाब के एरिया में भेजते हैं तथा जीएसटी अधिकारी उन व्हीकलों को अपने-2 अधिकार क्षेत्र का एरिया अवैध तरीके से क्रास करवाते हैं जो इस तरह का कृत्य करके सरकार के जी.एस.टी. व अन्य करों की चोरी करके चूना लगा रहे हैं। आज दिल्ली से गाड़ी नं0 HR57A 8028, PB13AW 8998, HR57A 1919 व PB03AX 6835 ट्रांसपोर्टरों का माल भरकर सिरसा के लिए चली हैं। अगर इन गाड़ियों को नाका लगाकर रूकवाया जाए और इनकी चैकिंग की जाए तो एक बहुत बड़े षड़यन्त्र का परदा फास हो सकता है जो मुखबर खास की सूचना काबिले एतबार होने पर गौरव शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक ने उच्च अधिकारियों को सूचना बारे अवगत करवाया तथा उनके मौखिक आदेश प्राप्त होने पर उन्होंने मौका पर एन्टी करप्शन ब्यूरो के अन्य अधिकारी/कर्मचारियों को भेजने के लिए आग्रह किया। उन्होंने उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार, श्री आर.के. चौधरी, उप आयुक्त आबकारी एवं कराधान विभाग मुख्यालय, पंचकूला से सम्पर्क स्थापित करके अपने साथ निरीक्षक, आबकारी एवं कराधान विभाग को भी साथ लेकर हाजिर आने बारे आग्रह किया। सूचना पाकर एन्टी करप्शन ब्यूरो हिसार, फतेहाबाद, सिरसा व भिवानी से अपनी-अपनी टीम के साथ अलग-अलग सरकारी गाड़ियों में श्री कैलाश चन्द, उप पुलिस अधीक्षक, श्री राकेश कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक सत्यपाल न. 303/SPT, निरीक्षक कुलवन्त न. 55/SR, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उप केन्द्र, भिवानी, निरीक्षक सुखजीत सिंह, इन्चार्ज भ्रष्टाचार निरोधक, ब्यूरो, उप केन्द्र सिरसा निरीक्षक अजीत सिंह न. 304/H, ई.एस.आई. विरसा सिंह न. 181/FTB, स.उप नि. राजकुमार 4/FTB, स.उप नि. सुरेश कुमार न. 625/SRS, स.उप नि. रमेश चन्द्र न. 658/JND, स.उप नि. पवन कुमार न. 39/DDR, स.उप नि. रवि प्रकाश न. 616/JND, ई.ए.एस.आई. रघुबीर सिंह न. 560/FTB, ई.ए.एस.आई. सुखविन्द्र न. 793/FTB, मुख्य सिपाही देवेन्द्र न. 667/हिसार, मुख्य सिपाही पवन कुमार न. 1270/हिसार, सिपाही विकास कुमार न. 544/हाँसी, EHC सुखविन्द्र सिंह न. 54/NNL, EHC प्रमानन्द 83/भिवानी, HC समीर न. 1043/भिवानी गौरव शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक के पास नजदीक डिंग मोड़, सिरसा पर हाजिर आए तथा श्री आर.के. चौधरी, उप आयुक्त आबकारी एवं कराधान विभाग मुख्यालय, पंचकूला व निरीक्षक रामआधार, आबकारी एवं कराधान विभाग भी वहाँ पर हाजिर आए। टैक्स अधिकारी/कर्मचारी व सभी एन्टी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी/कर्मचारियों को सिरसा से फतेहाबाद की तरफ टोल बैरियर से पहले एकत्रित करके उपरोक्त सूचना बारे अवगत करवाया व आपस में विचार-विमर्श किया और उनको व्हीकल नम्बर की जानकारी देते हुए अलग-अलग रेडिंग पार्टियां तैयार करके अलग-2 स्थानों पर खड़ा होने बारे निर्देशित किया। समय करीब 12:00 बजे दिन में हिसार से सिरसा की तरफ से थोड़े-थोड़े समय अन्तराल में क्रमशः गाड़ी नं0 HR57A 8028, PB13AW 8998, HR57A 1919 व PB03AX 6835 आती हुई दिखाई दी जिनको ड्यूटी अनुसार रेडिंग पार्टियों द्वारा रूकवाया गया और मौका पर हाजिर श्री आर.के. चौधरी, उप आयुक्त आबकारी एवं कराधान विभाग मुख्यालय, पंचकूला व निरीक्षक रामआधार, आबकारी एवं कराधान विभाग की निगरानी में व्हीकल न. HR57A 8028 TATA 1109, Canter के चालक जंगीर चन्द पुत्र श्री सुरनाम चन्द वासी रसूलपुर, जिला सिरसा मो.न. 8059402415, व्हीकल न. PB13AW 8998 के चालक सन्दीप कुमार पुत्र श्री राजकुमार वासी वार्ड न. 9, कबीर बस्ती, रानीया, जिला सिरसा मो.न. 9050623216, व्हीकल न. HR57A 1919 के चालक अमरीक सिंह पुत्र श्री लख्खा सिंह वासी सिकंदरपुर, जिला सिरसा मो.न. 8685056931 व व्हीकल न. PB03AX 6835 के चालक बलजिन्द्र पुत्र जीत सिंह वासी कृष्णा कालोनी, म.न. 4239, गली न. 1, नजदीक रेलवे लाईन, भटिण्डा (पंजाब) मो.न. 8283002680 से पूछताछ की गई जिन्होंने पूछताछ में एस.के. ट्रांसपोर्ट कम्पनी, हिसार (अतिरिक्त कार्यालय सिरसा व दिल्ली), कटारीया ट्रांसपोर्ट नजदीक सरकारी हस्पताल डबावाली, जिला सिरसा, श्री ओम बालाजी ट्रांसपोर्ट कम्पनी, मायापुरी, दिल्ली के मोबाईल नम्बर 9991991416, 9992809877, 8816013858, 7206004705, 9215550790, 8059605000, 9891475502, 8076037278,

9812650790, 9992777850, 8069600050, 7838465266, 8816013558 व 9050630216 के प्रयोगकर्ताओं की इस प्रकरण में टैक्स विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ संलिप्ता होने बारे बतलाया। मौका पर श्री आर.के. चौधरी, उप आयुक्त आबकारी एवं कराधान विभाग मुख्यालय, पंचकूला व निरीक्षक रामआधार, आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा व्हीकलों के माल के बिल व बिलिटियों को चैक किया गया परन्तु मौका पर लेबर का इन्तजाम न होने के कारण व्हीकलों में भरे माल का निरीक्षण नहीं किया जा सका जो सभी व्हीकलों को निगरानी में आहता थाना सिविल लाईन सिरसा में खड़ा किया गया और इस सम्बन्ध में थाना के रोजनामचा में अलग से रपट दर्ज करवाई। इसके उपरान्त मन उप पुलिस अधीक्षक द्वारा उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाकर अहता थाना सिविल लाईन सिरसा में खड़े व्हीकलो में भरे माल की निरीक्षण / चैकिंग रिपोर्ट एन्टी करप्शन ब्यूरो व टैक्स अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा तैयार की गई। दिनांक 18.04.2023 को मन उप पुलिस अधीक्षक द्वारा डी.ई.टी.सी. सिरसा को पत्र क्रमांक 1-Spl/उप.पु.अ./भ.नि.ब्यूरो हिसार दिनांक 18.04.2023 स्पेशल चैकिंग के दौरान पकड़ी गई गाड़ियों की असैसमेंट करवाने बारे DETC (ब्रिकी कर) सिरसा को लिखा गया। DETC (ब्रिकी कर) सिरसा द्वारा उक्त पत्र के सन्दर्भ में Endst. 898/TI dated 18.04.2023 अनुसार उक्त गाड़ीयों में भरे माल की फिजिकल असैसमेंट के लिए एक कमेटी गठित की गई जिसमें श्री सुरेन्द्र गोदारा व श्री सतबीर सिंह ई.टी.ओ. नियुक्त किये गये। मन उप पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 19.04.2023 को व्हीकल न. HR57A 8028, PB13AW 8998, HR57A 1919 व PB03AX 6835 को श्री राकेश मैहता AETO सिरसा के हवाले किया गया। जिन्होंने चालान करके चालान की प्रतिया व्हीकलो के चालको के हवाले की गई। उक्त गाड़ीयों में भरे माल की फिजिकल असैसमेंट श्री सुरेन्द्र गोदारा व श्री सतबीर सिंह ई.टी.ओ. द्वारा की जा रही है। आज मन उप पुलिस अधीक्षक अपने कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार मण्डल, हिसार में हाजिर हूँ, जो उक्त सम्बन्ध में एन्टी करप्शन ब्यूरो व टैक्स अधिकारियों ACB मुख्यालय की संयुक्त टीम द्वारा व्हीकलों में भरे माल बारे की गई कार्यवाही निरीक्षण/चैकिंग रिपोर्ट व श्री आर.के. चौधरी, उप आयुक्त आबकारी एवं कराधान विभाग मुख्यालय, पंचकूला के पत्र क्रमांक 6491/ACB(HQ), Panchkula, Dated 20-04-2023 की रिपोर्ट मुझे प्राप्त हुई। जो अब तक की गई कार्यवाही से, व्हीकलों के चालकों की पूछताछ, टैक्स अधिकारियों व एन्टी करप्शन ब्यूरो की संयुक्त टीम द्वारा पेश की गई निरीक्षण/चैकिंग रिपोर्ट वा श्री आर.के. चौधरी, उप आयुक्त आबकारी एवं कराधान विभाग मुख्यालय, पंचकूला की रिपोर्ट के अवलोकन करने से पाया गया कि फर्म मालिकों, ट्रांसपोटर्स व दलालों द्वारा मिली भगत करके फर्जी वा बिना बिलों के माल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाकर सरकार के टैक्स की चोरी की है। जो प्रथम दृष्टया से उक्त प्रकरण में फर्म मालिकों, ट्रांसपोटर्स, दलालों, जी.एस.टी. विभाग हरियाणा के अधिकारियों/कर्मचारियों की मिली भगत होना वा टैक्स व अन्य करों की चोरी करके सरकार को लाखों रुपये की हानी पहुँचाना दर्शाता है। पुरे प्रकरण का पर्दाफास करने के लिए उक्त प्रकरण में जी.एस.टी. विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों से फर्म मालिकों, ट्रांसपोटर्स एवम् दलालों की मिली-भगत का पता लगाने के लिए गहन अनुसंधान करने की आवश्यकता है। जो इस सम्बन्ध में उक्त फर्म मालिकों, ट्रांसपोटर्स, दलालों, जी.एस.टी. विभाग व आर.टी.ए. बहादुरगढ़, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद व सिरसा के अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया धारा 418, 465, 467, 468, 471, 120बी भा.द.स. एवं 7, 7A पी.सी. एक्ट के अन्तर्गत अपराध होना पाये जाने पर अभियोग दर्ज करके अनुसंधान अमल में लाया जाना जरूरी है। लिहाजा तहरीर हजा बराए कायमी मुकदमा बदस्त ESI सुरेन्द्र कुमार न. 1773/हिसार के अरसाल थाना है बाद कायमी मुकदमा नम्बर पर्चा से सूचित करें। स्थान:- कार्यालय उप-पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक, ब्यूरो, हिसार। SD Surender Pal (सुरेन्द्र पाल) ह0पु0से0 उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक, ब्यूरो, हिसार मण्डल, हिसार। दिनांक 27.04.2023 समय 5.50 PM अज थाना:- लेख हजा पर मुकदमा व जुर्म दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर मय आमदा रिकार्ड फाईल बराये तफतीश निजद उप पुलिस अधीक्षक गौरव शर्मा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हिसार के पास भेजी जा रही हैं नकुलात प्रथम सूचना रिपोर्ट ईलाका मजिस्ट्रेट साहब सिरसा व पुलिस अधीक्षक सिरसा को बजरिया ई-मेल/डाक से भेजी जा रही है।

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):
Gaurav (Dy. SP (Deputy Superintendent of Police))/p or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rank (पद):
No. (सं.): to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)
or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण
हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): Satyapal
Rank (पद): Inspector
No. (सं.): 303/SPT

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7
संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known /
seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात
/ देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1						Is pox pitted: Yes
2						Is pox pitted: Yes
3						Is pox pitted: Yes
4						Is pox pitted: Yes
5						Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)